

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-१/निदे० छात्रावास(नि०/म०)-०५-२४/२०१४-

162
20/03/18


शुद्धि पत्र

राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-144 दिनांक-12/03/18 के कंडिका-5 में " निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। साथ ही भवन निर्माण विभाग द्वारा अतिरिक्त आवश्यक कार्य की समीक्षा कर राशि बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। "

के स्थान पर

" निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्माण करा लिया जायेगा। " पढा जाय।

2- स्वीकृत्यादेश संख्या-144 दिनांक-25/08/17 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 1/निदे० छात्रावास(नि०/म०)-०५-२४/२०१४- 162, पटना, दिनांक- 20/03/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबधित कोषागार पदाधिकारी बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, नालन्दा/उप विकास आयुक्त, नालन्दा/उप निदेशक, कल्याण, पटना /जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, नालन्दा /प्रगारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।